नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार।

सार्वजनिक सूचना

नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार के सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा 298 (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत) की धारा – 298 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा–128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनो के वार्षिक मुल्य या दोनो के वार्षिक मुल्य पर भवन/सम्पत्ति कर आरोपित करने के उदेश्य से नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा ''सम्पत्ति/भवनकर उपविधि –2015–16'' बनायी गई है, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा 301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एंव जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो, उनसे आपत्ति एंव सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र मे उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एंव आपत्तियॉ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर को प्रेषित की जा सकेगी। बाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एंव सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

''सम्पत्ति/भवनकर उपविधि – 2015–16''

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ –
   क – यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर ''सम्पत्ति/भवनकर उपविधि – 2015–16'' कहलायेगी।
   ख – यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर की सीमा मे प्रवृत्त होगी।
   ग – यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट मे प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाऐं –
   किसी विषय या प्रसंग से कोई वादा प्रतिकुल न होने पर इस उपविधि मे–
   (क) ''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर से है।
   (ख) ''सीमा'' का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर की सीमाओं से है।
   (ग) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य अधिशासी आधकारी नगर पंचायत भगवानपुर से है।
   (घ) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
   (ड) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर के निर्वाचित अध्यक्ष/प्रशासक से है।
   (च) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त प्रभावी) संशोधन से है।
   (छ) ''वार्षिक'' मूल्यांकन का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा –140 व धारा– 141 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य से है।
   (ज) ''सम्पत्ति/भवनकर '' का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916कि धारा–128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि दोनो के वार्षिक मूल्य पर कर से है।
   (झ) ''समिति '' का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा –104 के अन्तर्गत गठित समिति से है।
   (प) ''भवन एंव भूमि '' का तात्पर्य नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवन एंव भूमि से है।
   (फ) ''स्वामी '' का तात्पर्य भवन एंव भूमि के स्वामी से है।
   (ब) ''अध्यासी '' का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर सीमान्तर्गत निर्मित भवन एंव भूमि पर किराये मे रहने वाले व्यक्तियों से है।
3. वार्षिक मूल्यांकन– नगर पंचायत भगवानपुर सीमान्तर्गत निर्मित भवन एंव भूमि पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा–142 (2) के अन्तगर्त कर निर्धारण के प्रयोजन